भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1872
दिनांक 11 दिसंबर 2025

विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता

†1872.श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
श्रीमती भारती पारधीः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) 2025-26 के दौरान विद्युत संयंत्रों द्वारा आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की मात्रा कितनी है और इसमें पिछले पाँच वर्षों के दौरान क्या प्रवृत्ति देखी गई है;
(ग) राष्ट्रीय गैस ग्रिड और एलएनजी टर्मिनलों के विस्तार सहित देश के ऊर्जा भंडार में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या प्रमुख पहलें की गई हैं;
(घ) क्या गैस आधारित विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने और गैस आधारित संयंत्रों के प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) में सुधार करने के लिए कोई विशिष्ट प्रोत्साहन या नीतिगत उपाय शुरू किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इन पहलों का ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी लाने पर क्या प्रभाव पड़ने की आशा है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग) सरकार ने बिजली बनाने के लिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू गैस स्रोत के साथ-साथ लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल को पावर प्लांट से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार, समेकित टैरिफ लागू करना, एलएनजी टर्मिनल बनाना, घरेलू गैस उत्पादक को, जिन्हें मूल्य निर्धारण और विपणन की आज़ादी दी गई है, को पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत गैस विनिमय के माध्यम से हर वर्ष 500 एमएमएससीएम या उनके संविदा क्षेत्र से वार्षिक उत्पादन का 10%, जो भी ज़्यादा हो, तक घरेलू गैस की बिक्री की इजाज़त देना, आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस (एलएनजी) को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) श्रेणी में रखा है। इससे क्रेता आपूर्तिकर्ता के साथ आपसी सहमति से तय वाणिज्यिक शर्तें पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से

एलएनजी को आज़ादी से आयात कर सकते हैं। सरकार ने एलएनजी के आयात पर शून्य सीमा शुल्क का भी प्रावधान किया है, अगर इसका इस्तेमाल विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2(28) में उल्लेख की गई किसी जनरेटिंग कंपनी द्वारा बिजली बनाने के लिए या ग्रिड को बिजली आपूर्ति करने के व्यापार में शामिल होने के लिए किया जाता है। गैस आधारित पावर प्लांट एलएनजी आयात करने, बिजली बनाने और उपभोक्ता को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

2025-26 के दौरान उर्जा संयंत्रों द्वारा आयात की गई लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की मात्रा और विगत पांच वर्ष में वर्ष –वार देखी गई विकास की प्रवृत्ति निम्नानुसार है:

वर्ष	कुल आयातित गैस (एमएमएससीएमडी में)	पिछले वर्ष के संबंध में वृद्धि (%)
2020-21	11.7	14%
2021-22	7.3	-38%
2022-23	2.8	-62%
2023-24	7.8	179%
2024-25	8.5	9%
2024-25 (अप्रैल-अक्तूबर)	13.0	-
2025-26 (अप्रैल-अक्तूबर)	9.1	-30%

(स्रोत: विद्युत मंत्रालय)

सरकार ने प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस का हिस्सा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार, नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क का विस्तार, लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल बनाना, घरेलू गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (परिवहन), पाइप्ड प्राकृतिक गैस (घरेलू), सीएनजी(टी)/पीएनजी(डी) को प्राथमिकता क्षेत्र के तौर पर आबंटित करना, उच्च दाब/उच्च ताप वाले क्षेत्रों, गहरे पानी और बहुत गहरे पानी और कोयले की परतों से बनने वाली गैस के लिए एक अधिकतम मूल्य के साथ विपणन और मूल्य तय करने की स्वतंत्रता देना, सीबीजी को बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (एसएटीएटी) पहल आदि शामिल हैं।

घरेलू गैस उत्पादन को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने उत्पादन साझाकरण प्रणाली से राजस्व साझाकरण प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए अन्वेषण रकबा प्रदान करने के लिए हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) को अधिसूचित किया है। इसके अलावा सरकार ने कोल बेड मीथेन के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीतिगत ढाँचे (सीबीएम) (2017), खोजे गए लघु क्षेत्र नीति (2018) को अधिसूचित किया, 2019 में पॉलिसी सुधार किया, जिसमें "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" को बढ़ावा देने के लिए कई प्रक्रिया और अनुमोदनों में ढील दी गई, कैटेगरी II और III टाइप के बेसिन से अप्रत्याशित लाभ को छोड़कर, राजस्व साझाकरण को हटा

दिया गया, डीप और अल्ट्रा-डीप ब्लॉक के लिए 7 साल की रॉयल्टी हॉलिडे, डीपवाटर और अल्ट्रा-डीप वाटर ब्लॉक के लिए रियायती रॉयल्टी की दर, और प्राकृतिक गैस के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता के साथ-साथ फील्ड के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन दिए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने 2020 में ई- बोली प्रणाली के माध्यम से बाजार मूल्य खोज की अनुमति दी और 2023 में तेल और प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड के कूप संबंधी उपायों के लिए प्रशासित मूल्य तंत्र के मूल्यो पर 20% का प्रीमियम देने की अनुमति दी।

(घ) और (ङ) विधुत मंत्रालय ने सूचित किया है कि देश में मौजूदा गैस-आधारित संयंत्र(जीबीपी) बिजली निर्माण की ज़्यादा लागत की वजह से कम इस्तेमाल हो रहे हैं। मुश्किल समय में बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए, विधुत मंत्रालय ने 2023, 2024 और 2025 में अत्यधिक मांग के समय जीबीपी से प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बिजली की अधिप्राप्ति करने की योजना लागू कीं। चयनित जीबीपी को न्यूनतम ऑफ-टेक गारंटी (एम जी ओ) दी गई है। 2023, (अप्रैल-जून 2023), 2024 (मार्च-जून 2024) और 2025 (मार्च-अक्टूबर 2025) के मुश्किल समय के दौरान, इन योजनाओं के तहत चुने गए जीबीपी से अधिप्राप्त उर्जा क्रमशः 317 एमयू, 482 एमयू और 1,477 एमयू थी। इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, गैस-आधारित आस्तियों के उपयोग को बेहतर बनाने में मदद की, ग्रिड को अतिरिक्त उच्चतम समर्थन दिया और अधिक माँग के समय सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद की। 2022-23 के दौरान गैस- आधारित विद्युत संयंत्रों का पीएलएफ 11.4% से बढ़कर 2024-25 के दौरान लगभग 15% हो गया है।

इसके अलावा, विधुत मंत्रालय ने 26 मई 2025 से 30 जून 2025 और 1 मई 2024 से 30 जून 2024 की अवधि के दौरान गैस-आधरित स्टेशनों से ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बनाने के लिए विधुत अधिनियम की धारा 11 के तहत निर्देश जारी किए हैं।

गैस-आधारित बिजली बनाने को बढ़ावा देने और गैस-आधारित संयंत्र के प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) को बेहतर बनाने के लिए नीति परक पहलों से ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाकर और कोयले और तेल पर निर्भरता कम करके ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने की उम्मीद है।

*****